

झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. 2281/2023

मोतीया अंगरिया उर्फ मौतिया अंगरिया उर्फ जंगुत उर्फ लाल सिंह अंगरिया, आयु - लगभग 42 वर्ष के, पिता- संगि अंगरिया, गाँव- बैपी, डाकघर - चक्रधरपुर, थाना - चक्रधरपुर, जिला- चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम

याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य के लिए: सुश्री प्रिया श्रेष्ठा, विशेष लोक अभियोजक

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना गया।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें 09.06.2023 के उस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है जो एस.टी. संख्या 233/2023 से संबंधित है। इस आदेश के तहत, माननीय सत्र न्यायाधीश, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम ने याचिकाकर्ता की जमानत रद्द कर दी और याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई याचिकाकर्ता के अदालत में उपस्थित न रहने के कारण की गई, जब मामला आरोप के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित था और सह-आरोपी बुढलाल अंगरिया हिरासत में थे, जिसके परिणामस्वरूप उस दिन आरोप के बिंदु पर सुनवाई नहीं हो सकी।

3. शिक्षित वकील याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता 19.01.2024 को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आश्वासन देता है, जिस दिन मामला अगली बार सुनवाई के लिए निर्धारित है, और आरोप के बिंदु पर सुनवाई में सहयोग करेगा।
4. यह आपराधिक विविध याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि यदि याचिकाकर्ता 19.01.2024 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और आरोप के बिंदु पर सुनवाई में सहयोग करता है और नियमित जमानत की प्रार्थना करता है, तो याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह ₹25,000/- के जमानत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करे। यह आदेश तब लागू होगा जब आरोप के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो जाएगी और माननीय सत्र न्यायाधीश, चाईबासा द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किया जाएगा।
5. यह आपराधिक विविध याचिका इस प्रकार निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 09 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।